UPMB010010642026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, महोबा।

उपस्थितः ध्रुव राय, एच0जे0एस0, UP2402

(जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–468/2026)

अभि उर्फ अवि उम्र 19 वर्ष पुत्र राजू अहिरवार निवासी ग्राम बगरौन थाना चरखारी, जिला महोबा (उ0प्र0) ..... **आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश .....**विपक्षी।**

मुकदमा अपराध संख्या–69/2026
धारा–303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–कुलपहाड, जिला महोबा।

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त **अभि उर्फ अवि पुत्र राजू अहिरवार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–69/2026, धारा–303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना कुलपहाड़, जिला महोबा के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है।

2. उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जेल में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनानत्र में किये गये कथनों के समर्थन में अभि उर्फ अवि द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा लक्ष्मन सिंह यादव पुत्र राई भरे यदव निवासी रगौलिया बुजुर्ग थाना कुलपहाड़, जिला महोबा द्वारा सम्बन्धित थाना कुलपहाड़ में इस आशय की तहरीर दी है कि दिनांक 31.03.2026 को रात में घर के बाहर लेटा था वही पर उसका भाई दलपत भी लेटा था और वही पर हीरो होण्डा बाइक पंजीकरण संख्या–UP95E9338 व एक मो0 नम्बर 9695373142 (ओप्पो) भी रखा था। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बाइक व मोबाइल ले गया जब वह उठा तो देखा कि मोटर साईकिल व मोबाइल दोनों नहीं मिले जिनकी वह बराबर खोजबीन करता रहा। रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है। आवेदक को उपरोक्त मुकदमा में वादी मुकदमा ने पुलिस से मिलकर रंजिशन झूठा फंसाया

गया है। आवेदक ने दिनांक 31.03.2026 की रात को वादी मुकदमा की बाईक व मोबाइल की चोरी नहीं की है, वादी द्वारा जो तहरीर दी गई है, वह शक के आधार पर दर्ज है, जो पूर्णतः बनावटी व कथानक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है, ऐसी स्थिति में आवेदक पर आरोपित किये गये अपराध को अभियोजन प्रथम दृष्टया सिद्ध करने के लिये कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक पर प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध नहीं होता है। आवेदक का उक्त घटना से कोई भी सीधा सरोकार नहीं है। आवेदक दिनांक 11.04.2026 से उपकारागार, महोबा में निरूद्ध है। आवेदक अपने परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। आवेदक के जेल में निरूद्ध रहने से, आवेदक का परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। आवेदक किसी भी आपराधिक प्रकरण में दंडित नहीं किया गया है। आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय में कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में ना तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। आवेदक अत्यंत गरीब व्यक्ति है और उपकारागार में निरूद्ध है, आवेदक ने अपने मुकदमे की पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सरकारी अधिवक्ता/एल.ए.डी.सी. नियुक्त कराया है, आवेदक के जमानत प्रार्थना पत्र पर जमानत धनराशि कम की जाये ताकि आवेदक को प्रतिभू पत्र तस्दीक न कराने पड़े, ऐसा महोदय से अनुरोध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को दौरान विचारण मुकदमा व्यक्तिगत बन्धपत्र व प्रतिभू पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. अभियोजन की तरफ से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि मामला वादी मुकदमा के मोबाइल व हीरो होण्डा बाइक की चोरी के अपराध से सम्बन्धित है, जिसकी बरामदगी आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से हुयी है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7. आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि आवेदक/अभियुक्त ने वादी मुकदमा की हीरो होण्डा बाइक पंजीकरण संख्या–UP95E9338 व एक मो0 नम्बर 9695373142 (ओप्पो) चोरी करने का आरोप है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है और दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है तथा बरामदगी के आधार पर मामले में धारा–317(2) की बढ़ोत्तरी की गयी है। अभियुक्त के कब्जे से कथित चोरी का मोबाइल व हीरो होण्डा बाइक की बरामदगी होना कहा गया है लेकिन कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है और न ही अभियोजन की ओर से आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास ही प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 11.04.2026 से कारागार में निरूद्ध है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है और आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. **आदेशः** आवेदक/अभियुक्त **अभि उर्फ अवि** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–468/2026 स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/–(पचास हजार रूपया) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानते सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–09.06.2026

(ध्रुव राय)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
महोबा।
J.O. No-UP2402

Digitally signed by DHRUVA RAI
Date: 2026.06.09 12:50:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court